पत्र संख्याः 7ब/2702गै०यो०ज०सं०–08/2015 264

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 14-03-16

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बजट मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग), मुख्य शीर्ष–2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02 भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, 02– उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण, के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित/श्रमपुस्त कर्मचारियों के भुगतान हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **2702–लघु सिंचाई** के अंतर्गत निम्नरूपेण दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्षो/उप शीर्षो के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50/2702–लघु सिंचाई/ 02–भू जल,	005– अन्वेषण, 02– उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण,	01–वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/ श्रमपुस्तों को वेतन, 50N270202005020111	**289.89755**

आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ नवासी लाख नवासी हजार सात सौ पचपन मात्र।

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट शीर्ष–2702–02–005 के अन्तर्गत उपशीर्ष – 02 – उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण मद के **संशोधित बजट उपबंध ₹ 460.32133 लाख** (₹ चार करोड साठ लाख बत्तीस हजार एक सौ तेतीस मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

7. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

8. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

9. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–07 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त।

Sukhdev 11/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 264 रॉची, दिनांक :– 14-3-16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू**, रॉची/कोषागार **पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/गुमला/सिमडेगा/खूँटी/चाईबासा/सरायकेला/जमशेदपुर/मेदिनीनगर/गढ़वा/ हुसैनाबाद/राजनगर/ लातेहार/हजारीबाग/रामगढ़/कोड़रमा/चतरा/बोकरो/धनबाद/लोहदगा/दुमका/जामताड़ा/साहेबगंज/पाकुड़/गोड्डा /देवघर/गिरिडीह** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev 11/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 264 रॉची, दिनांक :– 14-3-16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev 11/3

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक 264 दिनांक 14-3-16 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 1

लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित/श्रमपुस्त कर्मचारियों के भुगतान हेतु निधि का आवंटन

क्र.	वित्तीय वर्ष 2015–16	मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग), मुख्य शीर्ष–2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02 भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उपशीर्ष–02–उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण, विस्तृत शीर्ष–01 वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/श्रमपुस्तों को वेतन, विपत्र कोड– 50N270202005020111					अभियुक्ति
	प्रमंडल का नाम	पूर्व का आबंटन (लाख ₹ में)	अतिरिक्त आबंटन (लाख ₹ में)	कुल आबंटन (लाख ₹ में)	कमियों की संख्या	On-line Allotment Access No.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची (RNCMIR001)	0.00000	66.05903	66.05903	54	105691	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के अपील को खरिज किये जाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा याचिका संख्या– WP(S)-700/2009 नन्द किशोर राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में पारित न्याय निर्णय दिनांक 04.08.2011 के अनुपालन में जल संसाधन विभाग के अधीन लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को दिनांक 10.09.2007 से नियमित होने के पूर्व की तिथि तक न्यूनतम वेतनमान् की न्यूनतम राशि के बकाये भुगतान हेतु। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–09/ज.स.–दै.वे.भो. कोर्टकेश–03/2012–1156 दिनांक–30.03.2015
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)	0.00000	74.55240	74.55240	54	105698	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)	0.00000	1.60230	1.60230	1	105720	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)	0.00000	16.30782	16.30782	11	105732	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)	0.00000	84.06297	84.06297	70	105736	
6	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची (DRNMIR001)	0.00000	5.64056	5.64056	5	105747	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR022)	1.94133	26.86698	28.80831	21	105757	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)	0.00000	13.08696	13.08696	10	105767	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)	0.00000	1.71853	1.71853	2	105769	
	योग	**1.94133**	**289.89755**	**291.83888**			
	आवंटित राशि –	₹ दो करोड़ नवासी लाख नवासी हजार सात सौ पचपन मात्र।					

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव